

विधि (प्रश्न-पत्र-I)

समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र के लिए विशेष अनुदेश

(कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, यदि विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

LAW (PAPER-I)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, if specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड—A / SECTION—A

1. (a) भारत के संविधान में समाविष्ट 'परिसंघवाद' की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
 Explain the concept of 'Federalism' as incorporated in the Indian Constitution. 10
 - (b) "संविधान को संशोधित करने हेतु अंगीकृत की गयी प्रक्रिया अद्वितीय है; यह अनम्य नहीं है फिर भी कठिन है।" स्पष्ट कीजिए।
 "The procedure adopted for amending the Constitution is unique; it is not rigid yet difficult." Elaborate. 10
 - (c) पक्षपात के विरुद्ध नियम उन घटकों पर प्रहार है जो निर्णय तक पहुँचने में अनुपयुक्त प्रभाव डाल सकते हैं। टिप्पणी कीजिए।
 The rule against bias strikes at such factors which may improperly influence in arriving at a decision. Comment. 10
 - (d) 'सर्वोपरि अधिकार' शब्द से आप क्या समझते हैं? वर्तमान के संदर्भ में इसकी सुसंगतता की विवेचना कीजिए।
 What do you understand by the term 'Eminent Domain'? Discuss its relevance in the present-day context. 10
 - (e) संवैधानिक संशोधनों एवं निर्णीत वादों के संदर्भ में 'मौलिक अधिकारों' एवं 'राज्य के नीति-निदेशक तत्वों' के बीच सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।
 Discuss the relationship between 'Fundamental Rights' and 'Directive Principles of State Policy' in the light of the constitutional amendments and decided cases. 10
2. (a) विषय एवं भूक्षेत्र के आधार पर संविधान में प्रदत्त केन्द्र एवं राज्यों की विधायी शक्तियों की विवेचना कीजिए।
 Discuss the legislative powers of the Union and States as provided in the Constitution on the basis of subjects and territory. 20
 - (b) संसद् की विधि निर्मित करने की 'अवशिष्ट शक्तियों' की विवेचना कीजिए।
 Discuss 'Residuary Powers' of the Parliament to legislate. 15
 - (c) "प्रशासनिक नियम निर्माण करने की आवश्यकता प्रत्यायुक्त विधि-निर्माण का अपरिहार्य है।" टिप्पणी कीजिए।
 "The need for administrative rule making entails delegated legislation." Comment. 15
3. (a) राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, विशेषकर तब जबकि दो या दो से अधिक राज्य अन्तर्राज्यीय करार का अनुपालन न कर रहे हों।
 Briefly enumerate the executive powers of the President, especially when two or more States are involved in non-observance of an inter-State agreement. 15

- (b) 99वें संशोधन अधिनियम, 2014 में अन्तर्निहित सिद्धान्त की विवेचना करते हुए देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए।

While discussing the underlying principle of the 99th Amendment Act, 2014, comment on the present system of appointment of judges to the Higher Judiciary in the country.

20

- (c) संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यह भी सुस्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार इसने अपनी निष्पक्षता को बनाये रखा है।

Discuss the powers and functions of the Union Public Service Commission. Also explain how it has maintained its impartiality.

15

4. (a) “‘विधि का नियम (रूल ऑफ लॉ)’ कानूनियत के सिद्धान्त पर आधारित है तथा मनमानी करने की शक्ति का प्रयोग करने के विपरीत है।” विवेचना कीजिए। यह सुस्पष्ट कीजिए कि क्या कारण बताये बिना शक्ति का प्रयोग मनमाना शक्ति का प्रयोग करने के तुल्य है।

“The ‘Rule of Law’ is based on the principle of legality and is opposed to exercise of arbitrary powers.” Discuss. Explain whether failure to give reasons amounts to exercising power arbitrarily.

20

- (b) व्यापारिक निकायों की प्रचुरोद्भवता के परिणामस्वरूप प्रशासनिक त्रुटियों से व्यक्ति के अधिकारों में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन प्रशासनिक त्रुटियों को ठीक करने में ‘ओम्बुड्समैन’ की भूमिका की विवेचना कीजिए।

The role of ‘Ombudsman’ is to correct the administrative faults which are troubling the rights of a person in view of proliferation of trading entities. Discuss.

15

- (c) “‘पॉलिसी तथा गाइडलाइन थियरी’ की यह पूर्वधारणा है कि अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकार ने न्याय प्रदान कर दिया है।” विस्तार से विवेचना कीजिए।

“‘The Policy and Guideline Theory’ presupposes delivery of justice by quasi-judicial authority.” Elaborate it.

15

खण्ड—B / SECTION—B

5. (a) अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति एवं इसके आधार की विवेचना कीजिए।

Discuss the nature and basis of International Law.

10

- (b) मानव अधिकार संधियों के विशेष संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति की स्थिति की विवेचना कीजिए।

Discuss the status of individual in International Law especially with respect to Human Rights Treaties.

10

- (c) वह संधि निरस्त समझी जाती है जो अपने को सम्मिलित किए जाते समय किसी वर्तमान या नई या उभरती हुई अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रीय विधि मानक या ‘जस कोजेन्स’ के विरोधाभास में है। टिप्पणी कीजिए।

A treaty is void if it conflicts with an existing or new or emerging peremptory norm of International Law or ‘jus cogens’ at the time of its inclusion. Comment.

10

- (d) क्या ऐसी प्रथा की परम्परा, जिसमें एक विशिष्ट उत्सर्ग द्वारा सभी प्रकार के आरक्षणों का निषेध अथवा कुछ या विशेष या विशिष्ट प्रकार के आरक्षणों का निषेध अथवा आरक्षणों का पूर्णतया निषेध है, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में बाधक है? विवेचना कीजिए।

Discuss whether the trend of convention providing a special clause prohibiting all kinds of reservations or some or specific or special kind of reservation or prohibiting reservations totally will hinder the growth of International Law. 10

- (e) अन्तर्राष्ट्रीय विधि, मान्यता के साक्ष्यिक सिद्धान्त का साक्ष्य है। विवेचना कीजिए।

International Law evidences the evidentiary theory of recognition. Discuss. 10

6. (a) किस प्रकार भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रीय विधि का अंग बन गया है, विवेचना कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के मध्य विरोधाभास की स्थिति में इस देश के न्यायालयों द्वारा किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, स्पष्ट कीजिए।

Discuss how International Law becomes part of the law of the land in India. In case of conflict between the International Law and Municipal Law, which one would be applied by the Municipal Courts of this country? Explain. 20

- (b) क्या भारत, भारत-यू० के० के पारस्परिक विधिक सहायता करार के तहत एक भारतीय नागरिक, जो कि भारतीय न्यायालय के उसके विरुद्ध कपट तथा मनी लान्डरिंग मामलों में पारित आदेश के बावजूद यू० के० के लिए पलायन कर गया है, के प्रत्यर्पण की माँग कर सकता है? व्याख्या कीजिए।

Can India invoke the India-UK Mutual Legal Assistance Agreement for extraditing an Indian national who has run away to UK in spite of an Indian Court order in respect of fraud and money laundering against him? Explain. 15

- (c) अन्तर्राष्ट्रीय मानवता-सम्बन्धी विधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के बीच आवश्यक भिन्नताएँ क्या हैं? व्याख्या कीजिए।

What are the essential differences between the International Humanitarian Law and International Human Rights Law? Explain. 15

7. (a) किसी देश के टेरिटोरियल वाटर (जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्य शामिल हैं) से होकर 'निर्दोष संचरण के अधिकार' की विधिक स्थिति की विवेचना कीजिए।

Discuss the legal regime of 'right of innocent passage' through the territorial waters (including international straits) of a State. 20

- (b) किसी देश की महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, जिसमें दो या दो से अधिक देशों की सम्मिलित मग्नतट भूमि भी शामिल है, के परिसीमन से सम्बन्धित विधि की विवेचना कीजिए।

Discuss the law of delimitation of the continental shelf of a State including the continental shelf common to two or more States. 20

- (c) यू० एन० कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, 1982 के अध्याधीन स्थापित इन्टरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (आई० टी० एल० ओ० एस०) के कार्यों, शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

Discuss the functions, powers and jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) established under the UN Convention on the Law of the Sea, 1982. 10

8. (a) वादों की सहायता से रूढ़िगत विधि के अन्तर्राष्ट्रीय नियम के घटकों की विवेचना कीजिए।

Discuss the constituent elements of an international rule of customary law with the help of cases.

10

- (b) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण निवारण हेतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VI में विशिष्ट रूप से उल्लिखित विभिन्न उपायों का वर्णन सुसंगत केस विधि की सहायता से कीजिए। इस संदर्भ में सुरक्षा परिषद् की भूमिका की भी विवेचना कीजिए।

Discuss, with the help of relevant case law, various methods specifically mentioned under Chapter VI of the UN Charter to resolve international disputes peacefully. Also discuss the role of Security Council in this regard.

20

- (c) यू० एन० एफ० सी० सी० सी०, 2015 के अन्तर्गत पेरिस करार में उल्लिखित अन्तिम शब्दों को 195 राष्ट्रों ने एकमत से अंगीकृत किया था। इस करार के अनुसार राष्ट्रीय अवधारित अंशदान (एन० डी० सी०) की सूचना प्रत्येक 5वें वर्ष दी जाएगी तथा यू० एन० एफ० सी० सी० सी० सचिवालय के साथ इसे पंजीकृत किया जाएगा जो कि 'प्रगामी' होगा स्वयं प्रत्येक राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर। फलतः अंशदान 'बाध्यकारी नहीं' है अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत और एक 'नाम एवं अपमान व्यवस्था' या 'नाम एवं प्रोत्साहन योजना' होगी।

इसके आवश्यक गुणों को स्पष्ट करते हुए, इस करार की उपादेयता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

Final words of Paris Agreement under the UNFCCC, 2015 was adopted unanimously by 195 countries. According to this Agreement, Nationally Determined Contributions (NDC) are to be reported every 5 years and are to be registered with UNFCCC Secretariat which will be 'progressive' depending upon the targets set by each country itself and therefore contributions have been made 'non-binding' as a matter of International Law and there will be a 'name and shame system' or 'name and encourage plan'.

After explaining essential features, comment on the effectiveness of such an Agreement.

20

★ ★ ★

